



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124908

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5563 वर्ष 2026

वरुण यादव उर्फ शेरू यादव

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : देवेंद्र यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए., पंकज शेखर सरोज, विनोद कुमार बरनवाल

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. अपीलकर्ता, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 और राज्य के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता वरुण यादव उर्फ शेरू यादव ने दायर की है। इसमें

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मांग की गई है कि विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) एक्ट, आजमगढ़ द्वारा जमानत आवेदन संख्या 1523/2026 (वरुण यादव उर्फ शेरू यादव बनाम राज्य) में 16 अप्रैल, 2026 को जमानत नामंजूर करने के आदेश को रद्द किया जाए। यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 127/2025 से जुड़ा है, जो बी.एन.एस. की धाराओं 103 (1), 3 (5), 61 (2) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा 3 (2) 5 के तहत थाना-मेहनाजपुर, जिला-आजमगढ़ में दर्ज है। साथ ही, अपीलकर्ता को इस मामले में जमानत पर रिहा करने की भी मांग की गई है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता शुभम सोनकर ने संबंधित पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि 31.12.2025 को रात लगभग 8:00 बजे, उनका चचेरा भाई अखिलेश सोनकर, उसी गाँव के निवासी संदीप कुमार के साथ मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी61पी9416, पैंशन प्रो, लाल रंग) से इटैली बाज़ार से मौढ़ा मोड़ की ओर घर लौट रहा था। जब वे मारुका माता मंदिर के पास लगभग 400 मीटर आगे बढ़े, तो मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात लोग पीछे से आए और अखिलेश सोनकर (जो पीछे की सीट पर बैठा था) के सिर पर डंडे से मारा। इसके परिणामस्वरूप, अखिलेश सोनकर मोटरसाइकिल से गिर गया। संदीप से सूचना मिलने पर, शिकायतकर्ता और परिवार के अन्य सदस्य घटनास्थल पर पहुँचे और घायल अखिलेश सोनकर को सीएचसी मेहनाजपुर ले गए। हालाँकि, वहाँ ईसीजी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण, डॉक्टरों ने उन्हें उसे लालगंज ले जाने की सलाह दी। इसके बाद, वे उसे लालगंज के सरकारी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उसकी जाँच की और उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद, वे मृतक अखिलेश सोनकर के शव के साथ सिधौना बाज़ार में मौजूद रहे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपील करने वाले के अधिवक्ता का कहना है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, संदीप - जो घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहा था और मृतक अखिलेश सोनकर पीछे बैठा था - ही एकमात्र चश्मदीद गवाह है। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज पहले बयान में, उस चश्मदीद गवाह ने कहा है कि जब वह मारुका माता मंदिर के पास मोटरसाइकिल चला रहा था और मृतक उसके पीछे बैठा था, तो चार आरोपी - वरुण यादव उर्फ शेरू यादव (यहाँ अपील करने वाला), अरुण यादव उर्फ अधिवक्ता यादव, रवि यादव और लालू यादव - एक दूसरी मोटरसाइकिल पर थे और उनके पास बांस और लाठियां थीं। जबकि असल में, बाद के बयान (मजीद बयान) में, उसी चश्मदीद गवाह ने कहा है कि घटना के समय, जब वह मोटरसाइकिल चला रहा था और मृतक पीछे की सीट पर था, तो तीन आरोपी - रवि यादव, आशुतोष सिंह और वरुण यादव उर्फ शेरू यादव (यहाँ अपील करने वाला) - मौजूद थे। अपने पहले बयान में उन्होंने अपील करने वाले और रवि यादव के साथ-साथ अरुण यादव और लालू यादव का भी नाम लिया, लेकिन दूसरे बयान में उन्होंने अरुण यादव और लालू यादव का नाम नहीं लिया। दूसरे बयान में उन्होंने पहली बार आशुतोष सिंह का नाम लिया। पहले बयान में उन्होंने सभी आरोपियों पर मृतक के साथ मारपीट करने की सामान्य भूमिका बताई थी, लेकिन दूसरे बयान में चश्मदीद गवाह ने मृतक को चोट पहुँचाने की खास भूमिका सिर्फ अपील करने वाले की बताई है।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज बयान में चश्मदीद गवाह ने बताया है कि घटना वाले दिन, चश्मदीद संदीप, मृतक अखिलेश सोनकर, चंदन राजभर, संजय गुप्ता, प्रियांश गुप्ता, करण सोनकर, जयकिशन सोनकर उर्फ जैकी और मनीष सोनकर, चंदन राजभर की मिल में चिकन और शराब की पक्ष कर रहे थे। शराब के नशे में होने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के बावजूद, अखिलेश सोनकर और शराब खरीदने की ज़िद कर रहा था। जब बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना, तो चश्मदीद और मृतक ने दो बीयर और एक क्वार्टर इंग्लिश शराब ली। हालाँकि, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर से शराब की कोई गंध नहीं आई थी।

6. इसी आधार पर, अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि चूँकि इस घटना का केवल एक ही चश्मदीद गवाह है और खुद उस गवाह के पहले और दूसरे बयानों में विरोधाभास है, इसलिए अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता और राज्य के ए.जी.ए. ने अपील और ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है। हालाँकि, वे निष्पक्ष रूप से यह मानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर से शराब की कोई गंध नहीं आई थी।

8. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह साफ़ है कि FIR किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ़ दर्ज की गई थी और चश्मदीद गवाह संदीप के बयानों में, जो सीआर.पी.सी. की धारा 180 के तहत दर्ज किए गए थे, अहम विरोधाभास हैं। पहले बयान में, चश्मदीद गवाह ने सभी आरोपियों पर मृतक को चोट पहुँचाने की सामान्य भूमिका बताई थी, जबकि दूसरे बयान में उसने सिर्फ़ अपीलकर्ता की विशिष्ट भूमिका बताई। पहले बयान में, चश्मदीद गवाह ने चार लोगों पर आरोप लगाया था, जबकि दूसरे बयान में उसने केवल तीन आरोपियों के नाम लिए। दोनों बयानों में, चश्मदीद गवाह ने कहा कि घटना के समय मृतक शराब के नशे में था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर से शराब की कोई गंध नहीं आई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना का संकेत देने वाली किसी ठोस सामग्री की अनुपस्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय मानती है कि अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

10. अपीलकर्ता-वरुण यादव उर्फ शेरू यादव को ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या वाले मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार देने होंगे। साथ ही, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

i) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा या परेशान नहीं करेगा।

ii) अपीलकर्ता न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में हाज़िर होगा और विचारण के निस्तारण में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता को एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(iv) अपील करने वाला व्यक्ति ज़मानत की आज़ादी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर अपील करने वाला व्यक्ति विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84/सीआर.पी.सी.

की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि अपील करने वाला व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार बीएनएस की धारा 209/आई.पी.सी. की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) अपील करने वाले को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर और (3) धारा 251 बीएनएस/313 सीआर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि अपील करने वाले की अनुपस्थिति जानबूझकर है या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है; साथ ही, विचारण न्यायालय सेक्शन 269 बीएनएस/229-ए भारतीय दंड संहिता के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

(vi) विचारण न्यायालय अपील करने वाले की रिहाई के बाद विचारण को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश कर सकता है।

11. ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और रिहायशी पते के सबूत की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने और अपील करने वाले को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. इस प्रकार, अपील सफल होती है और इसे मंज़ूर किया जाता है।

13. विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति. एक्ट), आजमगढ़ द्वारा ज़मानत अर्ज़ी संख्या 1523/2026 (वरुण यादव उर्फ़ शेरू यादव बनाम सुभाष बनाम यूपी राज्य) में 16

अप्रैल, 2026 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। यह मामला मुकदमा अपराध

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 127/2025 से जुड़ा है, जो बी.एन.एस. की धाराओं 103 (1), 3 (5), 61 (2) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति. एक्ट की धारा 3 (2) 5 के तहत थाना-मेहनाजपुर, ज़िला-आज़मगढ़ में दर्ज किया गया था।

3 जून, 2026

सुशील/-

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।